

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
संतकबीरनगर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : 17 अक्टूबर, 2013

विषय जनपद संतकबीरनगर में वित्तीय वर्ष 2012-13 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1040/राहत लिपिक-सी0आर0एफ0, दिनांक 27-09-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद संतकबीरनगर में वित्तीय वर्ष 2012-13 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु जिला गन्ना विकास विभाग की 25 परियोजनाओं के कार्यों हेतु अवशेष धनराशि ₹0 5,54,75,500/- तथा नगर पंचायत हरिहरपुर की 14 परियोजनाओं/कार्यों हेतु अवशेष धनराशि ₹0 3,47,00,000/- अर्थात् कुल धनराशि ₹0 9,01,75,500/- (नौ करोड़ एक लाख पचहत्तर हजार पाँच सौ मात्र) द्वितीय किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय -42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जाँच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं।

शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा अदय गय नरदेशानुसार तात्कालरक मरम्मत/पुनर्नरमाण/पुनरस्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में कसरी अन्य वरभाग से धनराशर प्राप्त न होने का कार्यदायी वरभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशर व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायरत्व सम्बन्धरत कार्यदायी वरभाग/जरलाधरकारी का होगा। प्राक्कलरत लागत के सापेक्ष वास्तवरक आंकलरत लागत का ही धनावंटन कसर जायेगा।

4- उक्त धनराशर का व्यय शा0प0सं0-78/पीएसआर/2012, दरनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दरनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में नरर्धाररत एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दरनांक 14-10-2011 के अनुसार कसर जायेगा। उक्त के अतरररक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दरनांक 21-06-2013 को संलग्न कसर गया है, जसरमें कई मानक मदों की दरों में संशोधन कसर गया है, जो दरनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन कसर जायेगा।

5- बाढ़/अतरवृष्टर से क्षतरग्रस्त सार्वजनरक पररसम्पतरियों की तात्कालरक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परररोजनाओं को तात्कालरक रूप से पूर्ण कर लरर जाये। राज्य आपदा मोचक नरधर की धनराशर का व्यय सक्षम अधरकारी द्वारा वरत्तीय एवं प्रशासनरक स्वीकृतर प्राप्त करने के उपरान्त नररमानुसार प्रक्ररया का अनुपालन सुनरश्चरत करते हुये नरर्धाररत अवधर के अन्दर कसर जायेगा। तात्कालरक प्रकतर के अपररहार्य पररस्थरतरियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परररोजनाओं को खण्डों में कदापर वरभाजरत नहीं कसर जायेगा, अपरतु नररन्तरता वाले वरभरन्न परररोजनाओं को एक ही परररोजना माना जोगा।

6- उपरोक्त परररोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण करराया जाना सुनरश्चरत करने के लरर कार्य की समय-समय पर वीडरयोग्राफी/फोटोग्राफी भी कररायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोजरता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषरत की जाय।

7- कतरपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कर आवंटरत धनराशर एकमुश्त कसरी सरकारी वरभाग या स्थानीय प्राधरकारी को हस्तगत करकर अपने कर्तव्य की इतर श्री कर ली जाती है। यह स्थरतर उचरत नहीं है। नरधर से प्रदत्त धनराशर आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का नरर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनरश्चरत कराना व्यय का पूर्ण वरवरण शासन को नरर्धाररत तरथर तक उपलब्ध कराना जरलाधरकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक नरधर से प्रदत्त धनराशर का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचरत प्रयोग सुनरश्चरत कसर जाय।

8- राज्य आपदा मोचक नरधर से स्वीकृत धनराशर का जरला स्तर पर समुचरत लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजरस्टर जरलाधरकारी द्वारा हस्ताक्षररत कसर जाय और मदवार मासरक व्यय वरवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दरनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसाररत प्रारूप पर अगले माह की 05 तररीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तरथर तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनरश्चरत कसर जाय। राज्य आपदा मोचक नरधर से स्वीकृत धनराशररों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-यू0ओ0-2/1-11-2013-रा0-11, दरनांक 04-03-2013 में दरये गये दरशा-नरर्देशों का अनुपालन कसर जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशर में से यदर कोई बचत/अवशेष की स्थरतर बनती है तो उसे वरत्तीय वर्ष के समापन/दरनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को

उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 क 369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध जाये ।

व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये त्थेक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकडे समाधानित एवं सत्यापित कराकर को सूचित किया जाय।

भवदीय,
(एल0 वेंकटेश्वर / ल०)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

387 (1)/1-10-2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0 इलाहाबाद ।

आयुक्त, बस्ती मण्डल, बस्ती /प्रमुख सचिव गन्ना विकास विभाग/प्रमुख सचिव पंचायती राज विभाग।

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0 लखनऊ ।

वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु ।

वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, 30प्र0।

सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी संतकबीरनगर ।

वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5

समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।

निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन ।

गार्ड फाइल ।

आज्ञा/से,
(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।

